(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिये पिछले कुछ वर्षों के दौरान समय-समय पर दिशानिर्देश भी जारी किये थे;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित रीति तथा रिवाजों के अनुसार बैंक ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि प्रकट नहीं करते हैं जिनके लिए उनके सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक और बट्टे खाते डाली गई राशि के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस आवश्यकता के लिए बैंकों पर जोर देते रहे हैं कि वे ऋण मूल्यांकन और दिए गए अग्रिमों का कारगर पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपने तंत्र को मजबूत करें। बैंकों से कहा गया है कि वे सख्त संयम अनुशासन तैयार करें ताकि अनियमित और खराब खातों का पहले पता लगया जा सके और अशोध्य ऋणों की घटनाओं को कम करने के लिए कारगर उपाय किए जा सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से कहा है कि वे अग्रिमों पर कारगर ढंग से निगरानी रखने और अनुवर्ती कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए किसी दिए गए समय पर अग्रिमों के स्वास्थ्य के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में उनके वर्गीकरण करने की प्रणाली स्थापित करें। बैंकों के निरीक्षण के समय भारतीय रिजर्व बैंक भी अग्रिमों की छानबीन करता है और जो अग्रिम अवरुद्ध होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं उपचारात्मक उपायों के लिए उन्हें बैंकों की जानकारी में लाया जाता है।

देश पर बकाया विदेशी कर्ज

114. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश पर विदेशी कर्ज की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के वर्ष के दौरान देश पर बकाया विदेशी कर्ज की मात्रा कितनी थी;

(ग) 1990-91 के वर्ष और 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार देश पर बकाया विदेशी कर्ज की राशि कितनी कितनी थी;

(घ) दिसम्बर, 1991 तक विदेशों से कुल कितना अतिरिक्त कर्ज लिया गया था और उस पर देय ब्याज की राशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो देश को विदेशी कर्ज से कब तक मुक्त करा लिए जाने की आशा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980-81 के अंत में देश पर विदेशी ऋण की कुल बकाया राशि 18400 करोड़ रुपए थी।

(ग) वर्ष 1990-91 के अंत में देश पर विदेशी ऋण की कुल बकाया राशि 100425 करोड़ रुपए थी। 31 जनवरी, 1992 के अंत तक की सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि इस अवधि के खाते अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं।

(घ) दिसम्बर, 1991 तक प्राप्त किए गए अतिरिक्त ऋणों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि इस अवधि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) विदेशी उधार और उनकी वापसी अदायगी, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार, अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इन उधारों की योजना समग्र अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जिनमें पिछले ऋणों की वापसी अदायगी संबंधी अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। वर्तमान विदेशी ऋणों की अधिकतम परिपक्वता अवधि, 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित, 50 वर्ष है।

मुद्रास्फीति की दर

115. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1992 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "एन्युअल इन्फलेशन रेट हाइऐस्ट इन दी डिकेड" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;